झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :– 7वि॰शा॰/विविध–12–42/2019 ज॰सं॰– 11/20-21 5.6/राँची, दिनांक 22-01-2021

प्रेषक,

प्रशांत कुमार,
सचिव

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो॰–हिनू राँची।

द्वारा :– आंतरिक वित्तीय सलाहकार

विषय :– जल संसाधन विभागान्तर्गत न्यायालय वाद/विवाचन वाद से संबंधित विभिन्न मामलों में नियुक्त विवाचक एवं पैरवी कर रहे अधिवक्ता के शुल्क, न्याय निर्णय के अनुपालन में वादी को भुगतान करने एवं अन्य विधि शुल्कों के भुगतान हेतु रूपये 125.00 लाख (एक करोड़ पच्चीस लाख) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश स्वीकृत

1. जल संसाधन विभाग एक कार्य विभाग है, जिसके अन्तर्गत एकरारनामा के अनुसार योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान उत्पन्न विवादों का निपटारा आरबीट्रेटर ट्रिब्यूनल द्वारा किया जाता है। इस हेतु वैधिक परामर्श भी प्राप्त किया जाता है एवं विभाग की ओर से पैरवी हेतु अधिवक्ता नियुक्त किये जाते हैं।

2. कतिपय मामलों में माननीय सर्वोच्च/उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश पारित करते हुए समय–सीमा निर्धारित कर Executing Court के पास राशि भी जमा करने का आदेश निर्गत किया जाता है, जिस हेतु भी ससमय आवंटन निर्गत करने में कठिनाई होती है।

3. विभागान्तर्गत विवाचन वाद के मामलों में विवाचक एवं पैरवी कर रहे अधिवक्ता के शुल्क भुगतान तथा अन्य विधि शुल्कों के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 में रू॰ 125.00 लाख (एक करोड़ पच्चीस लाख रूपये) मात्र का व्यय संभावित है।

4. उक्त कार्यों पर होने वाला व्यय मांग संख्या–49S–जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–4701–मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप–मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–796–जन–जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष–75–सर्वेक्षण, अनुसंधान, परामर्श एवं मूल्यांकण, विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान, 49 आर्थिक सहायता अन्तर्गत रू॰ 80.00 लाख (अस्सी लाख) तथा मॉग संख्या–49–जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–4701–मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप–मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–001–निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष–75–सर्वेक्षण, अनुसंधान, परामर्श एवं मूल्यांकन, विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान, 49 आर्थिक सहायता अन्तर्गत रू॰ 45.00 लाख (पैतालीस लाख) अर्थात् कुल रू॰ 125.00 लाख परिशिष्ट–1 के अनुसार भारित किया जायगा।

5. उपर्युक्त मद में वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु क्रमशः रूपये 250.00 लाख एवं रूपये 200.00 लाख का बजटीय उपबंध है।

6. कार्य योजना से संबंधित प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता इस कार्य के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा संबंधित प्रक्षेत्र के मुख्य अभियंता नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

7. जल संसाधन विभागान्तर्गत न्यायालय वाद/विवाचन वाद से संबंधित विभिन्न मामलों में प्राप्त परामर्श, नियुक्त विवाचक एवं पैरवी कर रहे अधिवक्ता के शुल्क, न्याय निर्णय के अनुपालन में वादी को भुगतान करने एवं अन्य विधि शुल्कों के भुगतान हेतु रूपये 125.00 लाख (एक करोड़ पच्चीस लाख) मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

8. राशि का भुगतान में विभाग द्वारा समय–समय पर दिये गये निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।

9. झारखण्ड कोषागार सहिता के नियम–174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

10. राशि की निकासी वित्त विभाग की परिपत्र सं०–2561 दिनांक–17.04.98 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार से की जायेगी।

11. स्वीकृत्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

12. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखंड, पो०–हिनू राँची को संसूचित किया जाए।

अनु०– परिशिष्ट–1

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(प्रशांत कुमार)
सचिव

पत्रांक :– 7वि०शा०/विविध–12–42/2019 ज०सं०– 11/20-21 पु०वि०/राँची, दिनांक 22-01-2021

प्रतिलिपि :– आंतरिक वित्तीय सलाहाकार, जल संसाधन विभाग, को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार झारखण्ड राँची को प्रेषण हेतु/योजना सह वित्त विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अशोक कुमार दास)
सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक :– 7वि०शा०/विविध–12–42/2019 ज०सं०– 11/20-21 पु०वि०/राँची, दिनांक 22-01-2021

प्रतिलिपि :– सभी कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अशोक कुमार दास)
सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक :— 7वि॰शा॰/विविध—12—42/2019 ज॰सं॰—11/20-21 पृ.68/रॉंची, दिनांक 22-01-2021

प्रतिलिपि :— सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख—I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, रॉंची/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग अन्तर्गत/ अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोटिरिंग अंचल—1 एवं 2, जल संसाधन विभाग, रॉंची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, रॉंची/संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल सं०—3, रॉंची/अवर सचिव, प्रशाखा—7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अशोक कुमार दास)
सरकार के संयुक्त सचिव (अभि॰)

पत्रांक :— 7वि॰शा॰/विविध—12—42/2019 ज॰सं॰—11/20-21 पृ.68/रॉंची, दिनांक 22-01-2021

प्रतिलिपि :— माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉंची के आप्त सचिव/माननीय मुख्य मंत्री, झारखण्ड सरकार के प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(अशोक कुमार दास)
सरकार के संयुक्त सचिव (अभि॰)

परिशिष्ट 1

क्र०	विवाचन वाद की विवरणी	राशि	संबंधित कार्यपालक अभियंता
1	Arbitration Appeal No-15/2018 Vijeta project vs. jharkhand state and others	5.50 Lakh	कार्यपालक अभियंता जलपथ प्र०सं०–01, सिमडेगा
2	Arbitration Appeal No-38/2017 Vijeta project vs. jharkhand state and others	12.50 Lakh	कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल बरही
3	Arbitration Appeal No-08/2016 Ms. J.K Construction vs. jharkhand state and others (agreement No.100F2/1987-88	10.60 Lakh	कार्यपालक अभियंता जलपथ प्र०सं०–01, सिमडेगा
4	Arbitration Appeal No-02/2019 (LCB-3) & Arbitration Appeal No-03/2019 (LCB-4)	50.00 Lakh	कार्यपालक अभियंता सिंचाई प्रमण्डल गालूडीह
5	Arbitration Appeal No-32/2017 Vijeta project vs. jharkhand state and others	13.00 Lakh	कार्यपालक अभियंता जलपथ प्र०, हजारीबाग
6	Arbitration Appeal No-08/2016 Jescon Enterbuild Ltd. vs. jharkhand state and others	0.8085 Lakh	कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, हुसैनाबाद
7	Expected Expenditure upto March 21	32.59 Lakh	
	कुल	**124.9985 Lacs** **Say-125.00 Lacs**	

(अशोक कुमार दास)
सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)
जल संसाधन विभाग।